विधानसभा में आज कई बार विपक्ष ने हंगामा किया

- बजट पर चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की गोविंद सिंह डोटासरा पर की गई टिप्पणी को लेकर जोरदार हंगामा हुआ
- प्रश्नकाल में शांति धारीवाल के प्रदेश में पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के बारे में किए सवाल का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया तो धारीवाल उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और कांग्रेस सदस्यों ने नारेबाजी की
- शून्यकाल में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट की योजनाओं का मुद्दा उठाया और प्रदेश की भजनलाल सरकार पर कांग्रेस के विधायकों की अनदेखी करने का आरोप लगाकर हंगामा मचाया

जयपुर (वि.सं.)। विधानसभा में सोमवार को विपक्ष के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा किया।

सदन में सोमवार को प्रश्नकाल, शून्यकाल और उसके बाद भी विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया। शून्यकाल के बाद जब बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे थे तब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की डोटासरा पर की गई टिप्पणी को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। डोटासरा जब बोल रहे थे तो आखिर में टोकते हुए दिलावर ने कहा कि डोटासराजी आप तो जेल जाने की तैयारी करो। इस पर विपक्ष के सदस्यों के ऐतराज जताते हुए बोलने से सदन में शोरगुल और हंगामा हुआ। इस पर जूली ने कहा कि मंत्री कानून से ऊपर हैं क्या, मंत्री के पास कहां जेल भेजने के अधिकार हो गए। हंगामा बढ़ते देख अध्यक्ष ने शांत होने के लिए कहा लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ। इस दौरान संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल भी बोले। बाद में देवनानी ने कहा कि जो भी असंसदीय शब्द हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा। इसके बाद मामला शांत हो गया।

इससे पहले प्रश्नकाल के समाप्त होने से कुछ समय पहले जब पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस सदस्य शांति धारीवाल के प्रदेश में पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के बारे में किए सवाल एवं पूरक प्रश्न का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया लेकिन धारीवाल उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा कि मंत्री यह बताये कि योजना में गत वर्ष कितनी राशि खर्च हुई हैं, जिसका जवाब नहीं मिला हैं। इस पर विपक्ष के अन्य सदस्य भी खड़े हो गए और जवाब दो, जवाब दो नारेबाजी शुरु कर दी। जिससे सदन में हंगामा हुआ। दो मिनट बाद प्रश्नकाल समाप्त होने पर हंगामा शांत हो गया।

इसके बाद शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के तहत बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट की योजनाओं का मुद्दा उठाया और प्रदेश की भजनलाल सरकार पर कांग्रेस के विधायकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बाकायदा एक पत्र जारी कर जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव मांगे गए, जनता ने जिन्हें नकार दिया और जो चुनाव हार गए उनके प्रस्ताव शामिल कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार सड़क कार्यों का बजट बनाने से पहले राज्य सरकार हर क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधि से सुझाव मांगती है और फिर जरूरत के अनुसार उन्हें बजट में शामिल करती है लेकिन भजनलाल सरकार ने कांग्रेस विधायकों से कोई सुझाव नहीं मांगे। उनकी बजाय उसी क्षेत्र के हारे हुए भाजपा प्रत्याशियों से सुझाव लेकर बजट की योजनाएं बनाई गईं। ऐसी पहली बार हुआ है और यह नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बजट भी 10 करोड रुपए से घटाकर पांच करोड रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जो चुनाव हार गए हैं उनसे विकास कार्यों की राय ली जा रही है ऐसे में चुने हुए जनप्रतिनिधि कहां जाएंगे।

जूली बोले विधानसभा का सबसे बड़ा सदस्य विधायक होता है जिसे स्थानीय जनता चुनती है। लेकिन पहली बार विधायक की सलाह न लेकर एक हारे हुए प्रत्याशी की सलाह से सड़क निर्माण की बजट योजनाएं बनाई गई हैं। यह सरकार क्या एक हारे हुए नेता को जनप्रतिनिधि मानती है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को पाबंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा वह इस मामले में अध्यक्ष का संरक्षण चाहते हैं कि वे इस पर जवाब मांगे और इन योजनाओं को पास करने से पहले मतदान कराएं। इस दौरान जूली ने सरकार से पूछा कि सरकार बजट योजनाओं पर मतदान कराने से क्यों डर रही है। अध्यक्षजी आप मतदान क्यों नहीं करवा रहे हैं।

सोमवार को भी भादरा चुनाव और शिक्षा मंत्री दिलावर के डीएनए के बयान की गूंज सदन में गूंजती रही। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विपक्ष ने भादरा चुनाव को लेकर दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी सरकार के अस्पष्ट रुख के प्रति जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने इस पूरे मामले में संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की।उन्होंने कहा कि यह संविधान खत्म करने की साजिश है, इस दौरान सदन में न्याय दो-न्याय दो के नारे गूंजते रहे, इधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासियों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद अभी तक माफी नहीं मांगे जाने से भी बिफरा विपक्ष सदन में हंगामा करता दिखाई दिया।

'प्रस्ताव पर बस्सी में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन होंगे'

जयपुर, (वि.सं.)। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र में जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाही की जाएगी।

कुमार प्रश्नकाल में विधायक लक्ष्मण के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बस्सी में गोदाम निर्माण से शेष रही 22 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी प्रस्ताव मंगवाकर गोदाम निर्माण करवाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र बस्सी में ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित सात ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए जिला कलक्टर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विधायकों को वीडियो अंश अब अगले दिन मिल सकेंगे

- विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी की पहल पर यह व्यवस्था पहली बार लागू हुई है
- वीडियो अंश ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि सत्र के दौरान सदन में विधायकों के उद्बोधनों के वीडियो अंश अब अगले दिन ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में वीडियो अंश पहली बार ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर यह व्यवस्था राजस्थान विधानसभा में पहली बार लागू हुई है। अध्यक्ष देवनानी ने सोलहवीं विधानसभा के दूसरे सत्र में इस नवाचार की जानकारी देते हुए सदन को अवगत कराया कि इस पहल से विधायकों के साथ ही उनके क्षेत्र के लोग व प्रदेशवासी क्षेत्रीय विधायक की सदन में सक्रियता से परिचित हो सकेंगे।

देवनानी ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही की ऑनलाइन व्यवस्था है। सदन में विधायकों के उदबोधन के दौरान वीडियो अंश दिये जाने की व्यवस्था भी है। अभी तक विधायकों को उनके उदबोधनों के वीडियो अंश सत्र समाप्ति के पश्चात उपलब्ध कराये जाते थे। अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि वर्तमान में बदलते परिवेश में डिजिटल मीडिया के महत्व को देखते हुए सदन में संबंधित विधायकों के उदबोधन के अंश अब एक दिन पश्चात उपलब्ध करवाये जायेंगे ताकि जन-जन को विधायकों की सदन में सक्रियता की जानकारी मिल सकें। देवनानी ने यह निर्णय वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए लिया है। विधानसभा में अध्यक्ष देवनानी की सोच और उनकी पहल से यह सम्भव हुआ है। देवनानी ने बताया कि विधायकों को उनके द्वारा सदन में दिये जाने वाले उदबोधनों के वीडियों अंश जो वर्तमान में सत्र की समाप्ति पर पैन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते थे, अब उन्हें राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवश्यक नियमानुकुल एडिटिंग करके एक दिवस पश्चात उपलब्ध करवाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि वीडियो अंश उपलब्ध कराये जाने वाली यह नवीन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

'फर्जी पदाधिकारी बन गैरकानूनी काम करने वालों पर कार्रवाही होगी'

जयपुर, (वि.सं.)। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि कूटरचित दस्तावेजों से संस्थाओं के फर्जी पदाधिकारी बनकर बंद पड़ी संस्थाओं की भूमि पर कब्जा करने जैसे गैरकानूनी कार्य करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कुमार शून्यकाल में विधायक जेठानंद व्यास द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस सम्बन्ध में उठाये गए मामले पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण संज्ञान में लाये जाने पर कमेटी बनाकर अथवा जांच एजेंसी के माध्यम से जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 2 लाख 70 हजार 257 संस्थाएं पंजीकृत हैं। राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्थाओं का पंजीकरण किया जाता है। अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं को प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार, संस्थाएं कार्यालय में वार्षिक सूची दाखिल करनी होती है। संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई पदाधिकारियों की सूची में से ही किसी के आवेदन करने पर मूल दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जाती है।

बजट में शिव विधानसभा का नाम तक नहीं : भाटी

जयपुर, (वि.सं.)। शिव विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविन्द सिंह भाटी ने कहा कि पूरे बजट में शिव विधानसभा क्षेत्र को कुछ नहीं मिला है। बजट में एक जगह भी शिव क्षेत्र का नाम तक नहीं है। क्षेत्र की जनता ने मुझसे पूछा कि बजट में कुछ नहीं दिया गया। मैंने कहा कि शायद मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, इसलिए कुछ नहीं मिला। सरकार ने शिव क्षेत्र के लोगों के अधिकार और मूलभूत सुविधाओं पर यह कुठाराघात है।

'ई-मित्र के कारण वृद्धजन की पेंशन रुकने पर कार्रवाई होगी'

जयपुर, (वि.सं.)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में ई-मित्र संचालकों द्वारा गलत सत्यापन होने के कारण वृद्धजन पेंशनरों का पेंशन से वंचित रह जाना गंभीर मामला बताते हुए आश्वस्त किया कि ऐसे ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध जांच कर समुचित कार्वाई की जाएगी तथा दोषी पाए जाने पर उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा।

गहलोत ने प्रश्नकाल में विधायक जसवंत सिंह यादव के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वृद्धजन पेंशनर्स को सही समय पर पेंशन का लाभ देने के लिए विभाग द्वारा हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। मोबाइल पर बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के मोबाइल पर ओटीपी उपलब्ध करवाकर पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए खण्ड विकास अधिकारी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है।

उन्होंने कहा कि पेंशन से वंचित बुजुर्गों के पेंशन संबंधी आक्षेपों की पूर्ति के लिए ग्रामसेवक को प्रत्येक वृद्धजन तक पहुंचने के लिए बीडीओ के माध्यम से निर्देशित किया जाएगा ताकि कोई भी वृद्धजन पेंशन से वंचित नहीं रहे। इसके अतिरिक्त शारीरिक रूप से अक्षम वृद्धजनों के निवास पर ई-मित्र संचालक को भेजकर भी पेंशन का सत्यापन कराया जा सकता है।

'वर्तमान में होमगार्डों को दिया जा रहा है विराम भत्ता'

जयपुर, (वि.सं.)। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में होमगार्ड स्वयं सेवकों को विराम भत्ता दिया जा रहा है।

खराड़ी प्रश्नकाल में पूरक विधायक अमृतलाल मीणा के प्रश्न पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि गत सरकार द्वारा छह मई 2022 को विराम भत्ता दिया जाना स्थगित कर दिया गया था लेकिन अब गत 27 फरवरी से यह भत्ता नियमानुसार फिर देना शुरु कर दिया गया है।

अपशिष्ट का उचित निस्तारण नहीं करने पर औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी : संजय शर्मा

जयपुर, (वि.सं.)। पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सोमवार को राज्य विधानसभा में कहा कि किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा अपशिष्ट निस्तारण के संबंध में नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर उसके खिलाफ कठोर कार्वाई की जाएगी।

शर्मा प्रश्नकाल में विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने राजसमन्द में मार्बल स्लरी की अवैध डंपिंग का सर्वे कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि राजसमंद जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट का उचित निस्तारण न किया जाना बेहद चिंता का विषय है।

उन्होंने सदन में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी उद्योग को यह छूट नहीं है कि वे औद्योगिक अपशिष्ट के माध्यम से उस क्षेत्र विशेष के जल संसाधन और पर्यावरण को दूषित करें और वहां के निवासियों तथा किसानों को तकलीफ पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि राजसमन्द में मार्बल स्लरी का निस्तारण कहीं अन्यत्र न करके निर्धारित डंपिंग यार्ड में ही किया जाना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा।

उन्होंने हिंदुस्तान जिंक औद्योगिक इकाई द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट का उचित निस्तारण नहीं किये जाने के सन्दर्भ में सचेत करते हुए कहा कि जिले में संचालित किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा विभाग के नियमों की पलना नहीं किये जाने जाने पर राज्य सरकार इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने में पीछे नहीं हटेगी।